केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की केन्द्रांश, राज्यांश एवं राज्य स्कीम (राज्यांश सहित) राशि

3/यो0-29/2017(खंड)
बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

04

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश
(संख्या /2018-19)

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार, भा.प्र.से.
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक - 18.4.18

विषय:- **मुख्यमंत्री बाल संरक्षण छत्र योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में बाल संरक्षण सेवाओं के विभिन्न अवयवों हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की केन्द्रांश राशि रू. 5,500/- लाख (रू. पचपन करोड), राज्यांश राशि रू. 1,833.33/- लाख (रू. अट्ठारह करोड तैतीस लाख तैतीस हजार) एवं राज्य स्कीम (राज्यांश सहित) में रू. 1,500/- लाख (रू. पंद्रह करोड) यानी कुल रू. 8,833.33/- (रू. अठ्ठासी करोड तैतीस लाख तैतीस हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग के ज्ञापांक सं0-5721 दिनांक-27.11.2017 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा बाल संरक्षण एवं अनाथ, बेसहारा, दु:साध्य रोगों से पीड़ित बच्चों तथा उन दु:साध्य रोगों से पीड़ित माता-पिता के बच्चों के पालन-पोषण हेतु मुख्यमंत्री बाल संरक्षण छत्र योजना कार्यान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में बाल संरक्षण सेवाओं के विभिन्न अवयवों हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की केन्द्रांश राशि रू. 5,500/- लाख (रू. पचपन करोड), राज्यांश राशि रू. 1,833.33/- लाख (रू. अट्ठारह करोड तैतीस लाख तैतीस हजार) एवं राज्य स्कीम (राज्यांश सहित) में रू. 1,500/- लाख (रू. पंद्रह करोड) यानी कुल रू. **8,833.33/-(रू. अठ्ठासी करोड तैतीस लाख तैतीस हजार)** मात्र के व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की है :-

(राशि लाख में)

क्र	योजना का नाम	विपत्र कोड	PFMS Code	मूल बजट उपबन्ध
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की केन्द्रांश राशि				
1	एकीकृत बाल संरक्षण सेवाएँ (आईसीपीएस)	(51-2235021020223)	9227	5500.00
	योग:-1			**5500.00**
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की राज्यांश राशि				
2	एकीकृत बाल संरक्षण सेवाएँ (आईसीपीएस)	(51-2235021020323)	9227	1833.33
	योग:-2			**1833.33**
राज्य स्कीम				
3	परवरिश	(51-2235021020116)	-	1500.00
	योग:-3			**1500.00**
	कुल (योग 1+2+3) :- (रू. अठ्ठासी करोड तैतीस लाख तैतीस हजार)			**8833.33**

2. स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार, पटना है। निदेशक, समाज कल्याण इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना राशि की निकासी कर बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

3. परवरिश योजना हेतु स्वीकृत राशि में से 1 प्रतिशत राशि प्रशासनिक व्यय मद में किया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध समाज कल्याण निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98, पत्रांक 3758/वि0 दिनांक 31.05.17, पत्रांक 378/वि0 दिनांक 16.01.18, पत्रांक 354/वि0 दिनांक 28.03.18, एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों / परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0-29/2017(खंड) के टिप्पणी पृष्ट संख्या 03/टि0 पर दिनांक 17.04.2018 को माननीया मंत्री, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।

7. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0-29/2017(खंड) के टिप्पणी पृष्ट संख्या 04/टि0 पर दिनांक 18.04.2018 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति के उपरांत निर्गत की जा रही है।

8. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

ह0/-
(वीरेन्द्र कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 3/यो0-29/2017(खंड़) 04 /....................../दिनांक- 18.4.18

प्रतिलिपि -महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/ समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक, समाज कल्याण, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, निदेशक, आई0सी0डी0एस, निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण इकाई, पटना एवं कार्यक्रम प्रबंधक, राज्य बाल संरक्षण समिति, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 3/यो0-29/2017(खंड़) 04 /....................../दिनांक- 18.4.18

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना तथा सभी जिला कोषागार पदाधिकारी एवं सभी उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।